न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 33/2021

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. उत्तमसिंह पुत्र उदयभानसिंह जाति राजपूत निवासी सैपउ, धोलपुर (मैसर्स नवकार दूध डेयरी फार्म, कुशीप, बाड़मेर का मैनेजर)
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मुकन्द चन्द निवासी रूघ जी पोल, बालोतरा जिला बाड़मेर (मैसर्स नवकार दूध डेयरी फार्म, कुशीप, बाड़मेर का भागीदार)
3. श्रुजल बागमर पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी राजपूत निवासी रूघ जी पोल, बालोतरा जिला बाड़मेर (मैसर्स नवकार दूध डेयरी फार्म, कुशीप, बाड़मेर का भागीदार)
4. नमन चौपड़ा पुत्र जितेन्द्र चौपड़ा निवासी लोहानो का चौक, बालोतरा जिला बाड़मेर (मैसर्स नवकार दूध डेयरी फार्म, कुशीप, बाड़मेर का भागीदार)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सुश्री लीना व्यास, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री तरूण व्यास, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
4. श्री महेन्द्रसिंह भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित।
5. श्री शैतानसिंह राठौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 21.06.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी ने दिनांक 05.0[illegible].2021 को अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स नवकार दूध डेयरी फार्म, कुशीप, बाड़मेर** पर निरीक्षण करने पर एक केन में विक्रय हेतु रखा

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:45:34 IST
Reason: SelfAttested

गया खाद्य पदार्थ **पनीर** जो कि एक फ्रीज में लगभग 20 किलो रखा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **2 किलो पनीर** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1304** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **पनीर** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **पनीर** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित। अधिवक्तागण अप्रार्थीगण को सुनवाई के प्रत्येक स्तर पर जवाब का समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **14.01.2021** में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थीगण को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिवक्तागण अप्रार्थीगण को सुनवाई के प्रत्येक स्तर पर जवाब का समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट अनुसार Milk Fat on dry matter basis मानक स्तर न्यूनतम 50.0% के मुकाबले में 5.92% पाया गया है जो कि मानक स्तर से अत्यन्त कम है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों की मानकता के स्तर का नहीं होने से विक्रय हेतु रखे गये उक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। अप्रार्थीगण द्वारा सुनवाई के प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना उनकी मौन जुर्म स्वीकारोक्ति है, लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरान्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर अपराध की गम्भीरता को देखते हुए संयुक्त रूप से **रूपये 1,00,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:45:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक **21.06.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

(उम्मेदसिंह रतनू)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:45:34 IST
Reason: SelfAttested